

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा  
पीठासीन अधिकारी- उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

अपील संख्या-06/2021 (सू० का अधि०)  
जीसीएमएस नं० 2021/102

सन्तोष कुमार जैन निवासी बी-140, अशोक बिहार, कर्मचारी  
कॉलोनी अलवर 301001 राज०

-अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा कोटा।

-प्रत्यर्थी



अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक :- 09/6/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट सन्तोष कुमार जैन निवासी बी-140, अशोक बिहार, कर्मचारी कॉलोनी अलवर के द्वारा दिनांक 10.12.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई-

1. आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में कमशः प्रशासनिक अधिकारियों एवं संस्थापन अधिकारियों के कितने-कितने पद कब कब से स्वीकृत / मौजूद है ? जिन हेतु निरंतर बजट भी प्राप्त होता रहा है । (दिनांक 1.4.2017 से आदिनांक तक )
2. आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में वर्तमान में पदस्थापित- " प्रशा० अधिकारियान" एवं "संस्थापन अधिकारियान" को किस प्रकार कार्य विभाजन /आवंटन किया हुआ है ? अर्थात उक्त दौनों पदों पर पदस्थापित अधिकारियान क्या क्या कार्य करते है ? अधिकारी वाईज सभी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं ।
3. कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाएं कि आपके जिला कलेक्टर कार्यालय को स्वीकृत / आवंटित मात्रा में प्रशासनिक अधिकारियान एवं संस्थापन अधिकारियान के पदों की वास्तव में आवश्यकता है ? यदि

2  
जिला कलेक्टर  
कोटा

नहीं तो कृपया अवगत करावें एवं यदि और भी पदों की आवश्यकता है तो उससे भी अवगत कराने का श्रम फरमाएं ।

4. आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में आवंटित / स्वीकृत प्रशासनिक अधिकारियों एवं संस्थापन अधिकारियों की वर्ष 1.4.2017 से आदिनांक तक वर्षवार हुई डीपीसी की पूर्ण जानकारी, विहित प्रक्रिया, नोटशीट्स जारी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं ।
5. यदि आपके कलेक्टर कार्यालय में आदिनांक तक 1.4.2017 से किसी भी उपरोक्त पदों में से पदौन्नतियां नहीं हुई है तो कृपया अवगत कराने का श्रम फरमाएं कि बजट / पद होने के बावजूद कर्मचारी / अधिकारी हित में आदिनांक तक पदौन्नतियां होने में क्या परेशानी / समस्याएं आ रही हैं ?
6. आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 1.4.2017 से आदिनांक तक किन किन अति० प्रशासनिक अधिकारियान की पदौन्नति- "तहसीलदार" के पद पर हुई है ? कृपया उनके नाम, जन्मतिथि, राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि, चयन का माध्यम यानि आरपीएससी / मृतक राज्य कर्मचारी / शहीद इत्यादि के आश्रित / साक्षात्कार के माध्यम से इत्यादि ? की पूर्ण जानकारी वर्षवार, आदेशों की प्रतियां सहित उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं ।
7. कृपया यह सूचना / जानकारी भी उपलब्ध करवाने का श्रम फरमाएं कि आपके कार्यालय में दिनांक 1.4.2020 को / आदिनांक तक कोई भी अति० प्रशासनिक अधिकारी दिनांक 23.2.1980 से आरपीएससी से चयनित एवं उसी तिथि से संस्थाई कनि० लिपिक कार्यरत / पदस्थापित / मौजूद है ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में जरिये डाक से भिजवाई गई है जो दिनांक 6.4.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी, एवं अति० जिला कलेक्टर, कोटा से टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक / सूचना / प्रथम-अपील / (प-272 / 20) / 2021 / 195 दिनांक 23.4.2021 से टिप्पणी एवं पत्रावली भिजवाई गई । अपीलार्थी को भी जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । किन्तु अपीलार्थी द्वारा जरिये डाक से ही एक प्रार्थना पत्र दिनांक 5.5.2021 भिजवाया गया जो दिनांक 11.5.2021 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वार भिजवाए

22  
जिला कलेक्टर  
कोटा

गये अपील में के आधार पर ही निर्णय / आदेश पारित कर आदेश की प्रति भिजवाई जावे ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि "आवेदक द्वारा आवेदन में वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से होने के कारण स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा को सूचना चाहने हेतु पत्र लिखा गया । स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से सूचना प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना/प-(270/20)/2021/09 दिनांक 7.1.2021 से सूचना आवेदक को जयें डाक से भिजवा दी गयी है । जिसकी छाया प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है । चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावे ।"

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी एवं रेकार्ड से जाहिर आया है कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा चाही गई 7 बिन्दुओं की सूचना बिन्दुवाईज भिजवाई जा चुकी है । जबकि यह अपील अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.2.2021 को भिजवाई गई है, तथा अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होने से यह अपील की गई है ।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पत्र दिनांक 7.1.2021 से भिजवाई जाना बताया है जो उनकी टिप्पणी के साथ प्राप्त पत्रावली में मौजूद भी है, किन्तु उक्त सूचना प्रार्थी अपीलांत को प्राप्त नहीं होना जाहिर होता है । अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए उक्त सूचना की प्रति पुनः प्रार्थी अपीलांत को उनके दिये गये पते पर पुनः भिजवाई जावे । अपील अपीलांत इसी स्तर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

2/5/21  
(उज्ज्वल राठौड़)  
अपील अधिकारी एवं  
जिला कलेक्टर कोटा  
जिला कलेक्टर  
कोटा